छ.ग.राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित

ग्राम – उरला, पो–बी0एम0वा0चरौदा, जिला–दुर्ग (छ0ग0)

क्रमांक / 1533 / छ.ग.दु.म.सं. / सिटी कार्यालय / विपणन / 2023 रायपुर, दिनांक 22.04.2023

विज्ञापन सामग्री निर्माण / प्रदायगी हेतु एजेंसी नियुक्ति के लिये निविदा

सहपत्रों की सूचीः–

क्र.	विवरण	पृष्ठ क्रमांक	पृष्ठ संख्या
01.	समाचार पत्र में प्रकाशित निविदा	01	01
02.	निविदा शेड्यूल	02	01
03.	निविदा प्रपत्र क्रमांक 1, आवश्यक शर्ते	03––05	03
04.	निविदा में भाग लेने की प्रक्रिया	06––08	03
05.	निविदा प्रपत्र क्रमांक 2, तकनीकी अर्हताएं	09––10	02
06.	निविदा प्रपत्र क्रमांक 3, भाव पत्र	11––12	02
07.	निविदा प्रपत्र क्रमांक 4,अनुबंध शर्तो का प्रारूप	13––15	03
08.	संनिष्ठा संधि	16––20	05
09.	काली सूची में न होने का शपथ पत्र (अनुसूची–1)	21	01
10.	निकट संबंधी न होने का शपथ पत्र (अनुसूची–2)	22	01
	कुल पृष्ठों की संख्या		**22**

कार्यालयछत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित

ग्राम–उरला, पो–बी०एम०वाय०चरोदा जिला – दुर्ग (छ०ग०)

Website : www.cgcoopdairyfed.in E-Mail : raipurdugdhsangh@gmail.com

क्रमांक/1533/छ.ग.दु.म.सं./सिटी कार्यालय/विपणन/2023 रायपुर, दिनांक 22.04.2023

।। विज्ञापन सामग्री निर्माण/प्रदायगी हेतु एजेंसी नियुक्ति के लिये निविदा सूचना ।।

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित, द्वारा देवभोग दूध एवं दुग्ध पदार्थ के प्रचार–प्रसार हेतु **विज्ञापन सामग्री निर्माण/प्रदायगी के लिये** एजेंसी नियुक्ति हेतु दो वर्ष की अवधि के लिए निविदा आमंत्रित करता है। वांछित विस्तृत विवरण महासंघ की वेब साईट www.cgcoopdairyfed.inपर उपलब्ध है।

सीलबंद निविदायें दिनांक 24.05.2023 को दोपहर 3:00 बजे दुग्ध महासंघ उरला मुख्य कार्यालय में खोली जायेगी।

प्रबन्ध संचालक
छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्या.

कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित

ग्राम–उरला, पो–बी०एम०वाय० चरोदा, जिला–दुर्ग (छ.ग.)

क्रमांक/1533/छ.ग.दु.म.सं./सिटी कार्यालय/विपणन/2023 रायपुर, दिनांक 22.04.2023

विज्ञापन सामग्री निर्माण/प्रदायगी हेतु एजेंसी नियुक्ति के लिये निविदा

निविदा प्रपत्र की सामान्य जानकारी

1.	निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की विधि	निविदा प्रपत्र छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित की वेबसाइट www.cgcoopdairyfed.in से 23.04.2023 से डाउनलोड किया जा सकेगा।
2.	निविदा जमा करने की तिथि, समय एवं स्थान	24.05.2023 दोपहर 01:00 बजे तक केवल स्पीड पोस्ट/पंजीकृत पोस्ट द्वारा निम्न पते परप्राप्त हुई निविदाएं ही शामिल की जावेंगी :– **छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित,** **कार्यालय क्रमांक 1 प्रथम तल,** **शहीद वीर नारायण सिंह (अभ्यूदय) परिसर,** **नगर घड़ी चौक रायपुर (छ.ग.)** **पिन : 492001**
3.	निविदा खोलने की तिथि, समय एवं स्थान	24.05.2023 दोपहर 3:00 बजे छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित, ग्राम–उरला–बी0एम0वाय0 चरोदा, जिला : दुर्ग (छ0ग0), पिन : 490025, विपणन शाखा
4.	निविदा खोलने की प्रक्रिया	➢ सर्वप्रथम बड़ा लिफाफा "C" खोल कर लिफाफा "A" एवं "B"प्राप्त किया जावेगा। ➢ लिफाफा "A" को खोलकर निविदा प्रपत्र शुल्क, धरोहर राशि एवं तकनीकी अर्हताएं से संबंधित दस्तावेज की जॉच की जावेगी। निविदा प्रपत्र शुल्क, धरोहर राशि एवं तकनीकी अर्हताएं से संबंधित दस्तावेज सही होने पर ही भाव पत्र का लिफाफा, लिफाफा "B" खोला जावेगा।
5.	निविदा प्रपत्र शुल्क	निविदा प्रपत्र शुल्क रू. 1,000/–का डिमांड ड्राफ्ट जो छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित को रायपुर में देय हो, संलग्न करना होगा।
6.	निविदा धरोहर राशि	धरोहर राशि रू. 10,000/– का डिमांड ड्राफ्ट जो **"छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित"(Chhattisgarh Rajya Sahakari Dugdh Mahasangh Maryadit)**को रायपुर में देय हो, संलग्न करना होगा।

नोट :– निविदा खोलने की तिथि में किसी भी कारण से अवकाश घोषित होने पर इन्हें अगले कार्य दिवस में समान निर्धारित समय में खोला जावेगा।

कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित

ग्राम–उरला, पो–बी०एम०वाय० चरोदा, जिला–दुर्ग (छ.ग.)

क्रमांक / 1533 / छ.ग.दु.म.सं. / सिटी कार्यालय / विपणन / 2023 रायपुर, दिनांक 22.04.2023

विज्ञापन सामग्री निर्माण / प्रदायगी हेतु एजेंसी नियुक्ति के लिये निविदा की आवश्यक शर्तें

1. विज्ञापन सामग्री निर्माण / प्रदायगी हेतु एजेंसी नियुक्ति के लिये जारी की गई यह निविदा विभिन्न विज्ञापन सामग्रियों के निर्माण तथा आवश्यकतानुसार इनके स्थल पर स्थापना के कार्य के लिए है। कार्य के लिए सक्षम एवं पात्र संस्थान स्पष्ट रूप से अंकित करें कि वे संपूर्ण छत्तीसगढ़ क्षेत्र में या किसी विशेष कस्बे / शहर में कार्य करने हेतु दरें प्रस्तुत कर रहे हैं। साथ ही यह भी स्पष्ट रूप से लिखा जाये कि उनके द्वारा दी गई दरें एक ही होंगी या अलग–अलग स्थानों के लिए अलग–अलग होंगी। भिन्न–भिन्न स्थानों पर अलग दर होने पर स्थानवार दरों का स्पष्ट विवरण भाव पत्र के साथ संलग्न किया जाये।
2. निविदाकार को निविदा के साथ रूपये 10,000 / – (रूपये दस हजार रू. मात्र) डी.डी. अर्नेस्ट मनी के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा। डी.डी. '' छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित", के नाम पर रायपुर में देय बनाया जाए। अर्नेष्ट मनी जमा न करने की स्थिति में निविदाकार की निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा तथा ऐसी निविदा स्वतः निरस्त मानी जावेगी। निविदा स्वीकृति होने पर अर्नेस्ट मनी अमानत राशि में समायोजित हो जावेगी, जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
3. निविदा स्वीकृत होने के बाद किसी भी कारणवश कार्य नहीं करने पर निविदाकार की अर्नेस्टमनी राजसात करने का निर्णय प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित द्वारा लिया जा सकेगा।
4. निविदा प्रपत्र के साथ निविदाकार द्वारा दी गई जानकारी यदि असत्य प्रमाणित होती है तो अर्नेस्टमनी राजसात करने का अधिकार प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित को होगा, साथ ही निविदाकार की ऐसी निविदा निरस्त समझी जावेगी।
5. आवश्यकता प्रतिपादित होने पर न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाले निविदाकार से निगोसिएशन कर दरों का निर्धारण किया जा सकेगा।
6. निविदा स्वीकृत की स्थिति में सफल निविदाकार को दुग्ध महासंघ द्वारा निर्धारित औपचारिकताऐं पूर्ण कर निर्धारित प्रारूप अनुसार रूपये 100 / – के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध निष्पादित करना होगा।
7. निविदाकार को निविदा प्रपत्र में दरें केवल निर्धारित प्रपत्र में ही भरनी होंगी। दरें अंको में एवं शब्दों में प्रस्तुत करना होगा। यदि अंको एवं शब्दों में प्रस्तुत दर में कोई अन्तर पाया जाता है तो शब्दों में लिखी दर को मान्य किया जाएगा।
8. किसी भी निविदा को बिना कारण बताए हुए निरस्त करने का अधिकार प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित को होगा।
9. निविदा प्रपत्र के साथ महासंघ के साथ किये जाने वाले अनुबंध का प्रपत्र संलग्न है जिसकी शर्ते आवश्यक रूप से पढ़ कर समझ लें।
10. निविदा स्वीकृति के उपरांत निविदाकार की कार्य अवधि दो वर्षो के लिए प्रभावशील रहेगी जिसे परस्पर सहमति से एक वर्ष के लिये बढ़ाया जा सकेगा।
11. कार्य आदेश से पूर्व सभी औपचारिकताएं निर्धारित अवधि में पूर्ण करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में कार्यवाही पूर्ण नहीं होने पर कार्य आदेश निरस्त किया जा सकेगा, एवं अमानत राशि भी राजसात की जा सकेगी।

12. प्रचार–प्रसार सामग्री निम्न मापदण्डों अनुसार बनानी और/या स्थापित करनी होगी :–

12.1 फ्लेक्स बोर्ड निर्माता को फ्लेक्स बेनर एवं बोर्ड दुग्ध महासंघ द्वारा निर्धारित डिजाईन एवं आकार में बनाये जाने होंगे।सभी बोर्ड 22 गेज के एमएस सीट के एक वर्ग इंच के स्कवेयर पाईप में स्टार फ्लेक्स से बनाने होंगे।फ्लेक्स बोर्ड एक तरफ से प्रिंटेड होंगे।दुग्ध महासंघ द्वारा फ्लेक्स बोर्ड निर्माता को देवभोग आउटलेट की सूची दी जाएगी । यह आउटलेट मुख्य संयंत्र केन्द्र उरला दुर्ग, कोनी बिलासपुर, बाबू सेमरा जगदलपुर, कोतरा रोड रायगढ़, कोरिया एवं अंबिकापुर के कार्यक्षेत्र में स्थित हैं। निर्माता को दिये गये आउटलेट पर बोर्ड लगाकर स्थापित किये गये प्रत्येक बोर्ड का रंगीन फोटो उपलब्ध कराना होगा, तभी देयक का भुगतान किया जाएगा।

12.2 स्टेण्ड बोर्ड दोनो तरफ से प्रिंटेड फ्लेक्स से कवर होंगे। स्टैण्ड बोर्ड 1 इंच स्कवेयर पाईप से निर्मित 36 गुण 72 इंच का फेम एवं 2 इंच पाईप से निर्मित टी शेप्ड स्टैण्ड से निर्मित आकार 6 इंच गुणा 24 इंच गुणा 36 इंच वजन 7 कि.ग्रा.। स्टैण्ड बोर्ड के निविदाकारों को महासंघ की डिजाइन अनुसार एक स्टैण्ड बोर्ड सैम्पल बनाकर देना होगा। स्टेण्ड बोर्ड की दर प्रति नग दी जानी है।

12.3 रोलिंग स्टैण्डी 3 फीट गुणा 6 फीट आकार में एक साईड प्रिन्टेड स्टार फ्लेक्स से बनाये जायेंगे ।

12.4 एक तरफ विज्ञापन वाले ग्लो साईन बोर्ड के मापदंड में लाइट ब्राण्ड एच पी एल/फिलिप्स/सिस्का/विप्रो/सूर्या/हेवल्स में से ही कोई होना आवश्यक होगा तथा प्रति 4 वर्गफीट पर एक लाईट, न्यूनतम 12 माह की फ्लेक्स ड्यूरेबिलिटी, 510 जी.एस.एम. स्टार फ्लेक्स, 22 गेज के एमएस सीट के एक वर्ग इंच के स्केयर पाईप का फ्रेम तथा पीछे की ओर 26 गेज की जी.आई. शीट से निर्माण किया जाना होगा । दरें स्थापना सहित/रहित दी जानी हैं । इन्हीं मापदंडों पर दोनों तरफ विज्ञापन वाले ग्लो साईन बोर्ड भी बनाने होंगे ।

12.5 आउटडोर ब्राण्डिंग के लिये 120 जी.एस.एम. साल्वेंट इंक विनाईल लैमीनेशन सहित/रहित, सनबोर्ड सहित/रहित, पेस्टिंग सहित/रहित पृथक – पृथक दरें दी जावेंगी । इनडोर ब्राण्डिंग के लिये इको साल्वेंट विनाईल की उपरोक्तानुसार दरें दी जावेंगी ।

12.6 वॉल पेंटिग में प्राईमर लगाकर दीवाल पर महासंघ द्वारा दी गई डिजाईन बनाना तथा लिखना रहेगा । बूथ/पार्लर पेंटिंग में प्राईमर, बेस कलर लगाकर महासंघ द्वारा दी गई डिजाईन बनाना तथा लिखना रहेगा। शॉप पेंटिंग में बेस कलर लगाकर महासंघ द्वारा दी गई डिजाईन बनाना तथा लिखना रहेगा ।

12.7 ऐक्रीलिक एल.ई.डी. 3 डी लेटर– आयाताकार, मोटाई 5 से 30 एम.एम., शब्दों का रंग आवश्यकतानुसार एनीमेशन 3 डी। सामग्री की दर स्थापना के साथ प्रति वर्गफीट में दी जानी है।

12.8 प्रिंटेड ब्राण्डिंग अंब्रेला– उँचाई लगभग 2 मीटर, खोलने पर व्यास लगभग 1.7 मीटर, पेनलों की संख्या 8, आधार में पेनल की चौड़ाई लगभग 60 से.मी., पेनल निर्माण 175 जी.एस.एम पॉलीस्टर कपड़े से, रिप की लम्बाई लगभग 90 सेंटीमीटर, रिप की सामग्री स्टील, वजन लगभग 2 कि.ग्रा., अंब्रेला खड़ा करने की उपयुक्त व्यवस्था के साथ होगा। दर प्रति नग प्रस्तुत करें।

12.9 एक्रीलिक एल.ई.डी. लालीपाप फ्लेंज– फ्लेंज आकार 18 इंच गुणा 18 इंच, गोलाकार एल.ई.डी. लालीपाप , रंग सफेद, सामग्री एल्यूमीनियम एवं एक्रीलिक एवं स्थापना के साथ। दरें प्रति नग एवं स्थल पर स्थापना व्यय के साथ दी जानी है।

13. सभी कार्य कार्यआदेश जारी होने के एक माह की अवधि में पूर्ण करना होगा तथा संपूर्ण भुगतान कार्य पूर्ण होने के पश्चात ही किया जाएगा।

14. निविदाकार को कार्य करने का न्यूनतम दो वर्ष का अनुभव होना चाहिए। इस हेतु कार्य आदेश तथा वित्तीय वर्ष 2020–21 एवं 2021–2022 के आयकर रिटर्न की छायाप्रति संलग्न करना होगा।

15. निविदाकार के पास जी.एस.टी. पंजीयन होना अनिवार्य होगा।

16. दुग्ध महासंघ के कोई भी अधिकारी/कर्मचारी, माननीय अध्यक्ष/प्राधिकारी एवं संचालक मंडल के सदस्य स्वयं अथवा उनके रिश्तेदार निविदा में भाग लेने के पात्र नहीं होगे, इस बाबत् निविदाकार को इस आशय का नोटराईज्ड शपथ पत्र निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगा कि वह इनमें से किसी से भी संबंधित नहीं है।

17. निविदाकार को निविदा के साथ इस आशय का नोटराईज्ड शपथ पत्र संलग्न करना होगा कि छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित द्वारा आवेदक को किसी भी प्रकार की अनियमितता के कारण टर्मिनेट अथवा ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया है।

घोषणा

मेरे द्वारा विज्ञापन सामग्री निर्माण/प्रदायगी हेतु एजेंसी नियुक्ति के लिये निविदाहेतु आवश्यक शर्तें एवं अनुबंध की शर्तें पढ़ व समझ ली हैं तथा मैं/हम सभी शर्तो को मानने के लिए सहज तैयार हूँ/हैं। निविदा में दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है। यदि मेरे द्वारा निविदा में प्रस्तुत जानकारी असत्य प्रमाणित होती है या मै बिन्दु क्रमांक 01 से 17 तक वर्णित शर्तों को पालन नहीं करता हूँ तो मेरी निविदा निरस्त कर मेरी अर्नेस्ट मनी राजसात करने का निर्णय प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित द्वारा लिया जाता है तो मै इस हेतु अपनी सहमति देता हूँ।

हस्ताक्षर

(निविदाकार)

नाम :

पता :

निविदा में भाग लेने की प्रक्रिया :–

1. लिफाफा ''A''प्रपत्र शुल्क रू. 1000/–, धरोहर राशि एवं तकनीकी अर्हताएं के कागजात का लिफाफा :–

(i) प्रपत्र शुल्क, धरोहर राशि का डी.डी. एवं प्रपत्र 1,2 एवं काली सूची, निकट संबंधी न होने का शपथ पत्र से संबंधित दस्तावेज एक अलग लिफाफा में रखें, जिस पर लिफाफा ''A'' लिखा जाए।

(ii) धरोहर राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।

लिफाफा ''A''में संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों का चेक लिस्ट

क्र.	दस्तावेज का नाम	संलग्न का प्रकार
01.	निविदा प्रपत्र शुल्क रू. 1000/– का **छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित (Chhattisgarh Rajya Sahakari Dugdh Mahasangh Maryadit)** को रायपुर में देय डिमांड ड्राफ्ट	मूलतः संलग्न किया जाना है।
02.	धरोहर राशि रू. 10,000/– का **छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित (Chhattisgarh Rajya Sahakari Dugdh Mahasangh Maryadit)**को रायपुर में देय डिमांड ड्राफ्ट	मूलतः संलग्न किया जाना है।
03.	प्रपत्र क्रमांक–1	हस्ताक्षर कर मूलतः संलग्न करें।
	प्रपत्र क्रमांक–2	भरा हुआ, हस्ताक्षरित एवं वांछित दस्तावेज संलग्न कर प्रस्तुत करें।
04.	जी.एस.टी. पंजीयन	पंजीयन प्रमाण पत्र की छायाप्रति पर हस्ताक्षर कर इन्हें संलग्न करना है।
05.	पैन कार्ड	पैन कार्ड की छायाप्रति पर हस्ताक्षर कर इन्हें संलग्न करना है।
06	न्यूनतम दो वर्ष का कार्य अनुभव	कार्य आदेश की सत्यापित छायाप्रति तथा वित्तीय वर्ष 2020–21 एवं 2021–2022 के आयकर रिटर्न की छायाप्रति संलग्न करना होगा।
07.	संनिष्ठा संधि	निविदा प्रपत्र के पृष्ठ क्रमांक 19–23 पर हस्ताक्षर कर इन्हें संलग्न करना है।
08.	काली सूची में न होने का शपथ पत्र (अनुसूची–1)	संलग्न प्रारूप के अनुसार रू. 10/– के स्टाम्प पेपर पर नोटरीकृत कराकर मूलतः संलग्न करना है।
09.	निकट संबंधी न होने का शपथ पत्र (अनुसूची–1)	संलग्न प्रारूप के अनुसार रू. 10/– के स्टाम्प पेपर पर नोटरीकृत कराकर मूलतः संलग्न करना है।

2. **लिफाफा ''B'' भाव पत्र** :–

(i) "भाव पत्र/दर" निविदा प्रपत्र में दिये गये प्रारूप में ही प्रस्तुत किया जावे।

(ii) प्रपत्र में सम्पूर्ण जानकारी दी जावे। कॉंट–छॉंटहोने पर नवीन प्रति वेबसाइट से डाउनलोड कर नवीन प्रति को बिना कॉंट–छॉंट के भरा जावे।

(iii) दरें स्पष्ट लिखी जावें।

(iv) दरें अंको एवं शब्दों दोनों में लिखी जावे। अस्पष्ट होने/अंतर होने पर शब्दों में लिखी गई दरें मान्य की जावेगी।

3. **लिफाफा ''B'' में संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजो का चेक लिस्ट :–**

क्र.	दस्तावेज का नाम	संलग्न का प्रकार
01.	प्रपत्र ''B'' ''भाव पत्र/दर''	हस्ताक्षर कर मूलतः संलग्न किया जाना है।

4. **निविदा खोलने की प्रक्रिया :–**

(i) बड़ा लिफाफा ''C'' खोलकर लिफाफा ''A''एवं लिफाफा ''B'' प्राप्त किया जावेगा।
(ii) लिफाफा ''A''में पृष्ट क्रमांक 6 में दर्ज चेक लिस्ट अनुसार दस्तावेजों का अवलोकन किया जावेगा।
(iii) लिफाफा ''A''में वांछित समस्त दस्तावेज प्राप्त होने पर ही भावपत्र का लिफाफा ''B''खोला जावेगा।

5. **निविदा प्रस्तुत करते समय ध्यान रखा जावे कि :–**

उक्त दोनो''A'' और ''B'' बंद लिफाफे एक साथ एक अन्य बडे लिफाफे ''C'' में बंद कर कार्यालय में स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित, कार्यालय क्रमांक 1 प्रथम तल, शहीद वीर नारायण सिंह (अभ्यूदय) परिसर, नगर घड़ी चौक रायपुर (छ.ग.), पिन : 492001 को प्रेषित किया जावे। **लिफाफा ''C'' में उपर की ओर विज्ञापन सामग्री निर्माण/प्रदायगी हेतु एजेंसी नियुक्ति के लिये निविदा लिखा जाना आवश्यक होगा।**

(i) स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक के माध्यम से रायपुर मे दर्ज पते पर निविदाएँ प्राप्त होना आवश्यक है। **किसी भी अन्य तरीके/स्थान पर प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।**
(ii) निविदा लिफाफा ठीक से मुहरबंद होना चाहिये।
(iii) निर्धारित तिथि एवं समय के बाद प्राप्त हुई निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।
(iv) उल्लेखित शर्तो के अतिरिक्त निविदाकार की ओर से उल्लेखित कोई भी शर्त मान्य नहीं की जावेगी।
(v) दरें प्रपत्र **''B''** में संलग्न होगी एवं सिर्फ और सिर्फ इसी प्रारूप में स्वीकृत होंगी ।
(vi) निविदा प्रपत्र पूर्ण बिना काटपीट के स्वच्छ अक्षरों में होना चाहिए,यदि किसी प्रकार की निविदा भरते वक्त कॉट–छॉट की जाती है तो वहॉं निविदाकार का हस्ताक्षर किया जाना आवश्यक होगा।

6. **सामान्य नियम एवं शर्ते :–**

(i) निविदा प्रपत्र की राशि रू. 1,000/– (अक्षरी राशि रू. एक हजार. मात्र) डिमांड ड्राफ्ट जो छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित को रायपुर में देय हो, मूलतः जमा करना होगा।
(ii) धरोहर राशि रू. 10,000/– का डिमांड ड्राफ्ट जो **''छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित''(Chhattisgarh Rajya Sahakari Dugdh Mahasangh Maryadit)** को रायपुर में देय हो मूलतः जमा करना होगा।
(iii) निविदा शेड्यूल में अंकित स्थान एवं समय तक प्राप्त निविदाओं पर ही विचार किया जावेगा। किसी भी कारण से विलंब से प्राप्त होने वाली निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा। निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि को किसी भी कारण से अवकाश घोषित होने पर इन्हें अगले कार्यदिवस में समान निर्धारित समय तक प्राप्त किया जावेगा। इसी प्रकार निविदा खोलने की तिथि में किसी भी कारण से अवकाश घोषित होने पर इन्हें अगले कार्यदिवस में समान निर्धारित समय पर खोला जावेगा।
(iv) ऐसे निविदाकार जो गत वर्ष अनुबंधित किये गये थे तथा जिनका कार्य संतोषप्रद नहीं रहा, की निविदा कमेटी/प्रबन्ध संचालक द्वारा अमान्य की जा सकेगी। इस हेतु किसी भी प्रकार का कारण बताया जाना आवश्यक नहीं होगा।
(v) निविदा स्वीकृत होने पर 100 रू. के नान ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर के साथ एवं अन्य शर्ते वाटर मार्क पेपर पर अंकित करते हुये अनुबंध निष्पादित करना होगा।
(vi) निविदाकार को अनुसूची 1 एवं 3 में दिये गये प्रारूप अनुसार यह शपथ पत्र देना होगा कि उसे काली सूची में नहीं डाला गया है, एवं उसका कोई भी रिश्तेदार/निकट संबंधी छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्या. में किसी भी पद पर कार्यरत नहीं है,/माननीय संचालक मंडल का सदस्य नहीं है। साथ ही संलग्न प्रारूप अनुसार सनिष्ठा निधि भी दी जानी होगी।
(vii) अस्वीकृत निविदा की धरोहर राशि आमंत्रित निविदा के परिप्रेक्ष्य में अंतिम निर्णय होने के तीन माह पश्चात् बिना ब्याज के रेखांकित चेक द्वारा वापसी योग्य होगी। प्राप्त न्यूनतम दर पर कार्य करनें की सहमति की स्थिति में अन्य निविदाकारों की धरोहर राशि रोकते हुये प्रतीक्षा सूची में रखा जावेगा। इस प्रकार रोकी गयी धरोहर राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा । प्रतीक्षा सूची के निविदाकार को स्वीकृत निविदा के निविदाकार के संतोषप्रद तरीके से कार्य संचालन में असमर्थ रहने पर कार्य संचालन का अवसर दिया जा सकेगा।

(viii) संचालक मण्डल अथवा महासंघ में कार्यरत कर्मचारी या निकट संबंधी की निविदायें आपत्ति /जानकारी प्राप्त होने पर निरस्त कर दी जावेंगी। निविदा स्वीकृत होने के बाद संबंध ज्ञात होने पर जॉच कर निविदा निरस्त कर दी जावेगी तथा प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जावेगी।

7. <u>अनुबंध :–</u>

(i) निविदा स्वीकृति आदेश प्राप्त होने पर निविदाकार को संलग्न प्रारूप अनुसार रू. 100/– के नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध निष्पादित करना होगा।

(ii) छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित को समय–समय पर अनुबन्ध की शर्तों के परिवर्तन/परिवर्धन करने का अधिकार होगा जिसे निविदाकार मानने हेतु बाध्य होगा।

8. <u>सीमांकन क्षेत्र :–</u>

(i) किसी भी/समस्त निविदाओं को आंशिक/संपूर्ण रूप से स्वीकृत/अस्वीकृत करने का समस्त अधिकार प्रबन्ध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित के पास सुरक्षित रहेगा।

(ii) निविदाकर्ता तथा छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित के मध्य में किसी भी प्रकार का विवाद होने पर अनुबंध के नियम एवं शर्तें दोनो पक्षों को मान्य होंगी। मतभेद की स्थिति में अध्यक्ष/प्राधिकृत अधिकारी छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

9. <u>न्यायालयीन प्रक्रिया का कार्यक्षेत्र :–</u>

(i) किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में समस्त विवादों के निपटारे के लिए न्यायिक कार्यक्षेत्र रायपुर (छ.ग.) होगा।

10. <u>घोषणा :–</u>निविदाकार द्वारा निविदा भरा जाना इस तथ्य का द्योतक है कि उसने निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व सम्पूर्ण निविदा प्रपत्र (नियम एवं शर्तें, अनुबंध की कंडिकाए आदि) का भली भाति अध्ययन कर समझ लिया है, एवं कोई भी तथ्य/कंडिका समझ न आने पर कार्यालय से उस पर पर्याप्त जानकारी प्राप्त कर ली है, तथा वह महासंघ की निविदा में दर्ज नियम एवं शर्तो एवं अनुबंध की कंडिकाओं के अनुरूप कार्य करने पर सहमत है। निविदा भरे जाने के पश्चात किसी भी प्रकार का कोई दावा/आपत्ति मान्य नहीं होगी।

प्रबन्ध संचालक
छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्या.

(तकनीकी अर्हताएं)
प्रपत्र क्रमांक 02

प्रति,

प्रबंध संचालक
छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित
बी.एम.वाय. चरोदा, जिला – दुर्ग (छ.ग.)

पासपोर्ट साईज फोटो (स्व. प्रमाणित)

महोदय,

विज्ञापन सामग्री निर्माण/प्रदायगी हेतु एजेंसी नियुक्ति के लिये निविदाकार्य हेतु दिनांक 23.04.2023 को दैनिक भास्कर समाचार पत्र में प्रकाशित निविदा क्रमांक/1533/छ.ग.दु.म.सं./सिटी कार्यालय/विपणन/2023 रायपुर, दिनांक 22.04.2023 के संदर्भ में निवेदन करता हूँ कि मेरे द्वारा निविदा प्रपत्र में वर्णित समस्त शर्तें एवं निर्देश पढ़ कर समझ लिए गये हैं। यदि मेरी निविदा स्वीकृत की जाती है तो मै आपके द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार कार्य करने हेतु सहमत हूँ। अतः एतद् द्वारा अमानत राशि रू. 10,000/– (अक्षरी रू. दस हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट क्रमांक .... दिनांक .... जो कि .... बैंक .... शाखा का है, संलग्न किया जा रहा है।

तकनीकी अर्हताएं

क्रमांक	आवश्यक अर्हता	विवरण जानकारी	अनिवार्यतः संलग्न किये जाने वाले स्व. प्रमाणित दस्तावेज
01.	निविदाकार का नाम व पता (संस्था/फर्म आदि की दशा में पंजीयन का प्रमाण)		संस्था पंजीयनकर्ता कार्यालय का पत्र/प्रमाण पत्र।
02.	यदि कोई पार्टनर हो तो उनका नाम व पता।		पंजीकृत पार्टनरशिप डीड।
03.	संस्था/फर्म होने की दशा में मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम		संस्था/फर्म के संचालक मंडल/मुख्य कार्यपालन अधिकारी का अधिकार पत्र।
04.	निविदाकर्ता का पेनकार्ड नंबर होना अनिवार्य।		पेनकार्ड की छायाप्रति संलग्न करें।
05.	जी.एस.टी. नंबर होना अनिवार्य है।		जी.एस.टी नंबर की छायाप्रति संलग्न करें।
06.	निविदाकार को कार्य करने का न्यूनतम दो वर्ष का अनुभव होना चाहिए।		कार्य आदेश की सत्यापित छायाप्रति तथा वित्तीय वर्ष 2020–21 एवं 2021–2022 के आयकर रिटर्न की छायाप्रति संलग्न करना होगा।
07.	बैंक का नाम एवं खाता क्रमांक		बैंक स्टेटमेन्ट की एक वर्ष की छायाप्रति या निरस्त चेक लगावें।

क्रमांक	आवश्यक अर्हता	विवरण जानकारी	अनिवार्यतः संलग्न किये जाने वाले स्व. प्रमाणित दस्तावेज
08.	**विज्ञापन सामग्री निर्माण/प्रदायगी हेतु एजेंसी नियुक्ति के लिये निविदा** हेतु फायनेन्शियल बिड में दरें प्रस्तुत की है। निविदा की शर्तों के अनुरूप निविदा में ई.एम.डी. हेतु रूपये 10,000 का डी.डी. संलग्न किया है।		भौतिक रूप से मूल डी.डी. संलग्न होना अनिवार्य है।
09.	निविदा फॉर्म रू. 1000/– का डी.डी. संलग्न किया है।		भौतिक रूप से मूल डी.डी. संलग्न होना अनिवार्य है।
10.	निविदाकार दुग्ध महासंघ के कोई भी अधिकारी/कर्मचारी, माननीय अध्यक्ष/प्राधिकारी एवं संचालक मण्डल के सदस्य स्वयं अथवा उनके रिश्तेदार नहीं हैं। इस बाबत् निविदाकार को शपथ पत्र निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगा।		इस हेतु रूपये 10/– के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र संलग्न करें।
11.	निविदाकार को निविदा के साथ इस आशय का शपथ पत्र संलग्न करना होगा कि छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित द्वारा आवेदक को किसी भी प्रकार की अनियमितता के कारण टर्मिनेट अथवा ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया है।		इस हेतु रूपये 10/– के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र संलग्न करें।

नोट :–

1. उक्त दस्तावेजों (जिनकी छायाप्रतियां मांगी गई है) की स्वयं के द्वारा प्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न करना अनिवार्य है, तथा निविदा स्वीकृत होने पर मूल दस्तावेजों से सत्यापन कराना अनिवार्य है।
2. उपरोक्त जानकारियों में से कोई भी जानकारी असत्य पाये जाने पर ठेका निरस्त कर अमानत राशि राजसात की जा सकेगी।
3. बिन्दु क्रमांक 1 से 11 पर वांछित जानकारी के प्रमाण में .... (प्रपत्रों की संख्या) स्वप्रमाणित छायाप्रतियॉ संलग्न की जा रही है।

हस्ताक्षर ....

नाम ....

पता ....

....

दूरभाष नंबर ....

मोबाईल नंबर ....

विज्ञापन सामग्री निर्माण/प्रदायगी हेतु एजेंसी नियुक्ति के लिये निविदाहेतु भाव पत्र

क्रमांक/1533/छ.ग.दु.म.सं./सिटी कार्यालय/विपणन/2023 रायपुर, दिनांक 22.04.2023

1. **प्रस्तावित दर :–**

क्रमांक	कार्य विवरण	दर
01.	बिना पाईप के साधारण 240 जी.एस.एम.फ्लेक्स बैनर हेतु दर रूपये प्रति वर्गफीट	अंको में (..) शब्दों में (..)
02.	क्रमांक 1 पर फ्लेक्स बैनर पर आई लिट लगाने की प्रति नग आई लिट दर	अंको में (..) शब्दों में (..)
03.	बिना पाईप के **स्टार** 240 जी.एस.एम.फ्लेक्स बैनर हेतु दर रूपये प्रति वर्गफीट	अंको में (..) शब्दों में (..)
04.	क्रमांक 3 पर फ्लेक्स बैनर पर आई लिट लगाने की प्रति नग आई लिट दर	अंको में (..) शब्दों में (..)
05.	22 गेज के एमएस सीट के एक वर्ग इंच के स्कवेयर पाईप में स्टार फ्लेक्स से बने फ्लेक्स बोर्ड हेतु दर रूपये प्रति वर्गफीट	अंको में (..) शब्दों में (..)
06.	आउटडोर ब्राण्डिंग के लिये 120 माइकान साल्वेंट इंक विनाईल की दर रूपये प्रति वर्गफीट	अंको में (..) शब्दों में (..)
07.	उपरोक्त विनाईल की लेमीनेशन दर रूपये प्रति वर्गफीट	अंको में (..) शब्दों में (..)
08.	उपरोक्त विनाईल की पेस्टिंग दर रूपये प्रति वर्गफीट	अंको में (..) शब्दों में (..)
09.	इनडोर ब्राण्डिंग के लिये 120 माइकान इको साल्वेंट विनाईल की दर रूपये प्रति वर्गफीट	अंको में (..) शब्दों में (..)
10.	उपरोक्त विनाईल की लेमीनेशन दर रूपये प्रति वर्गफीट	अंको में (..) शब्दों में (..)
11.	उपरोक्त विनाईल की पेस्टिंग दर रूपये प्रति वर्गफीट	अंको में (..) शब्दों में (..)
12.	प्रपत्र 1 के बिन्दु क्रमांक 12.2 पर दिये गये मापदंड अनुसार स्टैण्डे बोर्ड की दर रूपये प्रति नग	अंको में (..) शब्दों में (..)
13.	प्रपत्र 1 बिन्दु क्रमांक 12.4 पर दिये गये मापदंड अनुसार एक तरफ विज्ञापन वाले ग्लो साईन की दर रूपये प्रति वर्ग फीट	अंको में (..) शब्दों में (..)
14.	उपरोक्त ग्लो साईन की इन्स्टालेशन दर रूपये प्रति नग	अंको में (..) शब्दों में (..)
15.	प्रपत्र 1 बिन्दु क्रमांक 12.4 पर दिये गये मापदंड अनुसार दोनों तरफ विज्ञापन वाले ग्लो साईन की दर रूपये प्रति वर्ग फीट	अंको में (..) शब्दों में (..)

क्रमांक	कार्य विवरण	दर
16.	उपरोक्त ग्लो साईन की इन्स्टालेशन दर रूपये प्रति नग	अंको में (..) शब्दों में (..)
17.	प्रपत्र 1 बिन्दु क्रमांक 12.3 पर दिये गये मापदण्ड अनुसार रोलिंग स्टैण्डी की दर रूपये प्रति नग	अंको में (..) शब्दों में (..)
18.	वॉल पेंटिंग की दर रूपये प्रति वर्गफीट सिर्फ राइटिंग	अंको में (..) शब्दों में (..)
19.	वॉल पेंटिंग की दर रूपये प्रति वर्गफीट बेस कलर लगाकर राइटिंग	अंको में (..) शब्दों में (..)
20.	पार्लर पेंटिंग की दर रूपये प्रति वर्गफीट सिर्फ राइटिंग	अंको में (..) शब्दों में (..)
21.	पार्लर पेंटिंग की दर रूपये प्रति वर्गफीट बेस कलर लगाकर राइटिंग	अंको में (..) शब्दों में (..)
22.	शॉप पेंटिंग की दर रूपये प्रति वर्गफीट सिर्फ राइटिंग	अंको में (..) शब्दों में (..)
23.	शॉप पेंटिंग की दर रूपये प्रति वर्गफीट बेस कलर लगाकर राइटिंग	अंको में (..) शब्दों में (..)
24.	प्रपत्र 1 बिन्दु क्रमांक 12.7 पर दिये गये मापदंड अनुसार ऐक्रीलिक एल.ई.डी. 3 डी, लेटर की दर रूपये प्रति वर्गफीट	अंको में (..) शब्दों में (..)
25.	प्रपत्र 1 बिन्दु क्रमांक 12.8 पर दिये गये मापदंड अनुसार प्रिंटेड अंब्रेला की दर रूपये प्रति नग	अंको में (..) शब्दों में (..)
26.	प्रपत्र 1 बिन्दु क्रमांक 12.9 पर दिये गये मापदंड अनुसार एक्रीलिक एल.ई.डी. लालीपाप फ्लेंज की दर रूपये प्रति नग	अंको में (..) शब्दों में (..)

समस्त दर सभी कर सहित प्रस्तुत की गई हैं।

उपरोक्त दी गई दरें निम्न स्थानों के लिए है :— चेक बाक्स में √करें।

- ☐ संपूर्ण छत्तीसगढ़
- ☐ रायपुर, नवा रायपुर, दुर्ग—भिलाई
- ☐ बिलासपुर, मुंगेली, कटघोरा
- ☐ कोरबा, जांजगीर चांपा, कोरिया
- ☐ जगदलपुर
- ☐ दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा
- ☐ अभनपुर, राजिम, गरियाबंद
- ☐ कुरूद, धमतरी, कांकेर
- ☐ महासमुंद, बागबहरा
- ☐ पिथौरा, बसना, सरायपाली
- ☐ तिल्दा, बलौदाबाजार, भाटापारा
- ☐ आरंग, खरोरा
- ☐ राजनांदगॉव, डोंगरगढ़
- ☐ बालोद, दल्लीराजहरा
- ☐ अंबिकापुर, सूरजपुर
- ☐ रायगढ़, खरसिया
- ☐ मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी

हस्ताक्षर ....

नाम ....

प्रपत्र क्रमांक – 04

(अनुबंध शर्तो का प्रारूप खण्ड–अ)

विज्ञापन सामग्री निर्माण/प्रदायगी हेतु एजेंसी नियुक्ति के लिये निविदा हेतु अनुबंध पत्र

क्रमांक/1533/छ.ग.दु.म.सं./सिटी कार्यालय/विपणन/2023 रायपुर, दिनांक 22.04.2023

यह अनुबंध आज दिनांक .... को प्रथम पक्ष प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित जिन्हें आगे महासंघ के नाम से संबोधित किया गया है,एवं श्री/मेसर्स .... जिन्हे आगे थ्नविदाकार के नाम से संबोधित किया जावेगा, के मध्य निष्पादित किया गया हैं। इस अनुबंध के तहत निम्न शर्तो के अधीन कार्य संपादित होगा :–

1. महासंघ द्वारा उपरोक्त कार्यों हेतु जारी निविदा में दी गई शर्तों एवं स्पेसीफिकेशन के आधार पर प्रपत्र 3 में निविदाकार द्वारा अपनी 2 वर्ष के लिये न्यूनतम दरें दी गई हैं ।
2. विभिन्न कार्यो के लिए निम्नानुसार दरें स्वीकृत की गई हैं :–

क्र.	कार्य विवरण	दर
01.	बिना पाईप के साधारण 240 जी.एस.एम.फ्लेक्स बैनर हेतु दर रूपये प्रति वर्गफीट	
02.	कमांक 1 पर फ्लेक्स बैनर पर आई लिट लगाने की प्रति नग आई लिट दर	
03.	बिना पाईप के **स्टार** 240 जी.एस.एम.फ्लेक्स बैनर हेतु दर रूपये प्रति वर्गफीट	
04.	कमांक 3 पर फ्लेक्स बैनर पर आई लिट लगाने की प्रति नग आई लिट दर	
05.	22 गेज के एमएस सीट के एक वर्ग इंच के स्कवेयर पाईप में स्टार फ्लेक्स से बने एजेंसी बोर्ड हेतु दर रूपये प्रति वर्गफीट	
06.	आउटडोर ब्राण्डिंग के लिये 120 माइकान साल्वेंट इंक विनाईल की दर रूपये प्रति वर्गफीट	
07.	उपरोक्त विनाईल की लेमीनेशन दर रूपये प्रति वर्गफीट	
08.	उपरोक्त विनाईल की पेस्टिंग दर रूपये प्रति वर्गफीट	
09.	इनडोर ब्राण्डिंग के लिये 120 माइकान इको साल्वेंट विनाईल की दर रूपये प्रति वर्गफीट	
10.	उपरोक्त विनाईल की लेमीनेशन दर रूपये प्रति वर्गफीट	
11.	उपरोक्त विनाईल की पेस्टिंग दर रूपये प्रति वर्गफीट	
12.	प्रपत्र 1 बिन्दु क्रमांक 12.2 पर दिये गये मापदंड अनुसार स्टैण्ड बोर्ड की दर रूपये प्रति नग	
13.	प्रपत्र 1 बिन्दु क्रमांक 12.4 पर दिये गये मापदंड अनुसार एक तरफ विज्ञापन वाले ग्लो साईन की दर रूपये प्रति वर्ग फीट	
14.	उपरोक्त ग्लो साईन की इन्स्टालेशन दर रूपये प्रति नग	
15.	प्रपत्र 1 बिन्दु क्रमांक 12.4 पर दिये गये मापदंड अनुसार दोनों तरफ विज्ञापन वाले ग्लो साईन की दर रूपये प्रति वर्ग फीट	
16.	उपरोक्त ग्लो साईन की इन्स्टालेशन दर रूपये प्रति नग	
17.	प्रपत्र 1 बिन्दु क्रमांक 12.3 पर दिये गये मापदण्ड अनुसार रोलिंग स्टैण्डी की दर रूपये प्रति नग	
18.	वॉल पेंटिंग की दर रूपये प्रति वर्गफीट सिर्फ राइटिंग	

क्र.	कार्य विवरण	दर
19.	वॉल पेंटिंग की दर रूपये प्रति वर्गफीट बेस कलर लगाकर राइटिंग	
20.	पार्लर पेंटिंग की दर रूपये प्रति वर्गफीट सिर्फ राइटिंग	
21.	पार्लर पेंटिंग की दर रूपये प्रति वर्गफीट बेस कलर लगाकर राइटिंग	
22.	शॉप पेंटिंग की दर रूपये प्रति वर्गफीट सिर्फ राइटिंग	
23.	शॉप पेंटिंग की दर रूपये प्रति वर्गफीट बेस कलर लगाकर राइटिंग	
24.	प्रपत्र 1 बिन्दु क्रमांक 12.7 पर दिये गये मापदंड अनुसार ऐक्रीलिक एल.ई.डी. 3 डी, लेटर की दर रूपये प्रति वर्गफीट	
25.	प्रपत्र 1 बिन्दु क्रमांक 12.8 पर दिये गये मापदंड अनुसार प्रिंटेड अंब्रेला की दर रूपये प्रति नग	
26.	प्रपत्र 1 बिन्दु क्रमांक 12.9 पर दिये गये मापदंड अनुसार एक्रीलिक एल.ई.डी. लालीपाप फ्लेंज की दर रूपये प्रति नग	

समस्त दर सभी कर सहित प्रस्तुत की गई हैं।

3. एक माह की अग्रिम सूचना देकर यह अनुबंध निरस्त करने का अधिकार महासंघ को होगा। इसके लिए महासंघ किसी भी तरह की न्यायालयीन प्रक्रिया से मुक्त होगा। यदि निविदाकार इस अनुबंध के तहत कार्य नहीं करना चाहता है तो उसे महासंघ को एक माह का लिखित अग्रिम नोटिस कार्य छोड़ने बाबत् देना होगा।
4. निविदाकार को सामग्री महासंघ द्वारा निर्धारित डिजाईन एवं आकार में बनाये जाने होंगे।
5. यह कि इस अनुबंध के विरूद्ध निविदाकार द्वारा प्रथम पक्ष के पास रूपये 10,000/— प्रतिभूति जमा की गई है जिसे अनुबंध समाप्ति पर बिना ब्याज के वापस किया जावेगा।
6. यह कि निविदाकार या निविदाकार द्वारा नियोजित व्यक्तियों द्वारा कार्यालय / विज्ञापन स्थापना स्थल में किसी भी कर्मचारी / विक्रय केन्द्र संचालक / अन्य व्यक्तियों के साथ अभद्र व्यवहार नहीं किया जावेगा। यदि ऐसा पाया जाता है तो ऐसे कर्मचारी को निविदाकार द्वारा तुरंत हटाना होगा। निविदाकार कार्यालय के किसी भी कर्मचारी के साथ अभद्र व्यवहार करने पर उनका ठेका तुरंत निरस्त कर उनका नाम ब्लेक लिस्ट में लगाया जा सकेगा।
7. यह अनुबंध दिनांक .... से .... तक 2 वर्षीय ठेका अवधि तक प्रभावशील रहेगा, जिसे परस्पर सहमति से एक वर्ष के लिये बढ़ाया जा सकेगा। निविदा नियम एवं शर्तो के अन्तर्गत उल्लेखित निर्देशों की अवहेलना करने या संतोषप्रद काम नहीं होने पर प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित द्वारा बिना कोई कारण बताये ठेका समाप्त किया जा सकेगा, एवं ठेका समाप्त किये जाने पर निविदाकार किसी भी क्षतिपूर्ति का अधिकारी नहीं होगा।
8. निविदाकार को अपना ठेका किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित करने का अधिकार नहीं होगा, और न ही वह उप निविदाकार नियुक्त कर सकेगा। यदि ऐसा पाया गया तो ठेका तुरंत निरस्त करने का अधिकार, प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित को होगा।
9. महासंघ की बकाया कोई भी राशि निविदाकार की प्रतिभूति राशि/देयकों से वसूली की जा सकेगी।
10. इस अनुबंध में जो दरें स्वीकृत की गई है वह दरें अनुबंध अवधि मे परिवर्तित नहीं की जाएंगी।
11. उपरोक्त किसी भी शर्तो एवं महासंघ द्वारा दिए गए निर्देशों, शर्तो एवं सूचनाओं की अवहेलना होने की स्थिति में ठेका निरस्त करने का अधिकार महासंघ को होगा।
12. यदि पक्षकारों के बीच इस ठेके के विषय में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसे निराकरण/ Arbitration हेतु माननीय अध्यक्ष/प्राधिकारी महोदय, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ के समक्ष रखा जावेगा। उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य एवं बंधनकारी होगा।

...14...

13. उपरोक्त शर्तों के अलावा महासंघ के हित को देखते हुए कोई भी अतिरिक्त शर्तें लगाने का अधिकार प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित को होगा।
14. यदि निविदाकार शर्तो के परिपालन में असमर्थ है या ठेका अनुबंध समाप्त करना चाहता है तो उसको एक माह पूर्व संघ को लिखित सूचना देना होगा, ऐसा न करने पर संघ द्वारा प्रतिभूति राशि एवं शेष देयकों की राशि राजसात की जा सकेगी।
15. निविदाकार द्वारा अनुबंध की किसी भी कंडिका को भंग करने पर इस अनुबंध को निरस्त करने एवं कोई अन्य व्यवस्था करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित स्वतंत्र रहेगा। इस प्रकार के अनुबंध के निरस्त होने की दशा में निविदाकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ के पास जमा कराई गई प्रतिभूति राशि जप्त कर ली जावेगी, एवं इस प्रकार के अनुबंध के निरस्त होने के कारण छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित को होने वाली क्षतियों एवं हानियों का भुगतान निविदाकार को छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित द्वारा मांग करने पर तुरंत करना होगा। क्षतियों एवं हानियों का निर्धारण जो कि निविदाकार से वसूल की जाना है के लिए प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
16. उपरोक्त अनुबंध के शर्तो के अलावा समय–समय पर महासंघ द्वारा जो भी लिखित निर्देश पत्र/परिपत्र के माध्यम से दिए जाएंगे, वे सभी इस अनुबंध के भाग माने जायेंगे एवं उसके पालन हेतु निविदाकार बंधनकारी होगा।
17. इस अनुबंध का न्यायिक कार्य क्षेत्र, रायपुर शहर का न्यायालय होगा।

हस्ताक्षर निविदाकार

नाम ....

नाम .... पिता का नाम .... आयु .... निवासी .... उपर उल्लेखित हस्ताक्षरित की गई निविदा अनुबंध मेरे द्वारा भलीभाति पढ़कर/समझकर एवं स्वीकार कर हस्ताक्षरित की गई।

हस्ताक्षर (प्रथम पक्ष) प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्या.	हस्ताक्षर (द्वितीय पक्ष) निविदाकार नाम ....

हस्ताक्षर साक्ष्य – 1

नाम : ....

पता :..

हस्ताक्षर साक्ष्य – 1

नाम ....

PRE CONTRACT INTEGRITY PACT

क्रमांक / 1533 / छ.ग.दु.म.सं. / सिटी कार्यालय / विपणन / 2023 रायपुर, दिनांक 22.04.2023

1. GENERAL

This pre-bid contract Agreement (herein after called the integrity pact) is made on…………………………… day of the month ………….20………, between, the Government of Chhattisgarh acting through the Managing Director, Chhattisgarh Rajya Sahakari Dugdh Mahasangh Maryadit (Designation of the officer, Department) government of Chhattisgarh (hereinafter called the "BUYER", which expression shall mean and include, unless the context otherwise requires, his successors in the office and assigns) as the First party, who proposestohire vehicles for transportaion of milk and milk products and Shri

……………………………………………… Son/Daughter of ____________________________ (here in after called the "BIDDER/Seller", which expression shall mean and include, unless the context otherwise requires, his successors and permitted assigns) as the second party, who is willing to offer/hasoffered the desired service.
WHEREAS the BIDDER is a Private Company/Public Company/Government/ undertaking

/partnership/Registered Export Agency, Constituted in accordance with the relevant law in the matter and the BUYER is a Ministry/Department of the Government, performing its function on behalf of the Government of Chhattisgarh.

2. OBJECTIVES

NOW, THEREFORE, the BUYER and the BIDDER agree to enter into this pre-contract agreement, hereinafter referred to as integrity Pact, to avoid all forms of corruption by following a system that is fair, transparent and free from any influence/prejudiced dealings prior to, during and subsequent to the Contract to be entered into with a view to :-

Enabling the BUYER to obtain the desired Store/Equipment/Work/Service at a competitive price in conformity with the defined specifications by avoiding the high cost and the distortionary impact of corruption on public procurement, and

Enabling the BIDDERS to abstain from bribing of indulging in any corrupt practices in order to secure the contract by providing assurance to them that their competitors will also abstain from bribing any corrupt practices and the BUYER will commit to prevent corruption, in any form, by its official by following transparent procedures.

3. COMMITMENTS OF THEBUYER

The BUYER commits itself to the following:-

The BUYER undertakes that no official of the BUYER, connected directly or indirectly with the contract, will demand, take promise for or accept, directly or through intermediaries, any bribe, consideration, gift, reward, favour or any material or immaterial benefit or any other advantage from the BIDDER, either for themselves or for any person, organization or third party related to the contract in exchange for an advantage in the bidding process, bid evaluation, contracting or implementation process related to the contract.

The BUYER will, during the pre-contract stage, treat BIDDERs alike, and will provide to all BIDDERs the same information and will not provide any such information to any particular BIDDER which could afford an advantage to that particular BIDDER in comparison to the other BIDDERs.

All the officials of the BUYER will report the appropriate Government office any attempted or completed breaches of the above commitments as well as any substantial suspicion of such a breach.

In case any such preceding misconduct on the part of such official(s) is reported by the BIDDER to the BUYER with the full and verifiable facts and the same prima facie found to be correct by the BUYER, necessary disciplinary proceedings, or any other action as deemed fit, including criminal proceedings may be initiated by the BUYER and such a person shall be debarred from further dealings related to the contract process. In such a case while an enquiry is being conducted by the BUYER the proceedings under the contract would not bestalled.

4. COMMITMENTS OF THEBIDDER

The BIDDER commits itself to take all measures necessary to prevent corrupt practices, unfair means and illegal activities during any stage of its bid or during any pre-contract or post-contract stage in order to secure the contract or in furtherance to secure it and in particular commititself to thefollowing:-

The BIDDER will not offer, directly or through intermediaries, any bribe, gift, consideration, reward, favour, any material or immaterial benefit or other advantage, commission, fees, brokerage or inducement to any official of the BUYER, connected directly or indirectly with the biding process, or to any person, organization or third party related to the contract in exchange for any advantage in the bidding, evaluation, contracting and implementation of thecontract.

The BIDDER further undertakes that it has not given, offered or promised to give, directly or indirectly any bribe, gift, consideration, reward, favour, any material or immaterial benefit or other advantage, commission, fees, brokerage, or inducement to any official of the BUYER orotherwiseinprocuringthecontractofforbearing.Todoorhavingdoneanyactin relation to the obtaining or execution of the contract or any other contract with the Government for showing or forbearing to show favour or disfavor to any person in relation to the contract or any other contract with theGovernment.

The BIDDER further confirms and declares to the BUYER that the BIDDER is the original Manufacture/Integrator/Authorized government sponsored export entity of the stores and has not engaged any individual or firm or company whether Indian or foreign to intercede, facilitate or in any way to recommend to the BUYER or any of its functionaries, whether officiallyorunofficiallytotheawardofthecontracttotheBIDDER,norhasanyamountbeen paid, promised or intended to be paid to any such individual, firm or company in respect of any such intercession, facilitation orrecommendation.

The BIDDER, either while presenting the bid or during pre-contract negotiations or before signing the contract, shall disclose any payment he has made, is committed to or intends to make to officials of the BUYER or their family members, agents, brokers or any other intermediaries in connection with the contract and the details of services agreed upon for such payments.

The BIDDER will not collude with other parties interested in the contract to impair the transparency, fairness and progress of the bidding process, bid evaluation, contracting and implementation of the contract.

The BIDDER will not accept any advantage in exchange for any corrupt practice, unfair means and illegal activities.

TheBIDDERshallnotuseimproperly,forpurposeofcompetitionorpersonalgain,orpasson to others, any information provided by the BUYER as part of the business relationship, regardingplans,technicalproposalandbusinessdetails,includinginformationcontainedin

any electronic data carrier. The BIDDER also undertakes to exercise due and adequate care lest any such information is divulged.

The BIDDER commits to refrain from giving any complaint directly or through any other manner without supporting it with full and verifiable facts.

The BIDDER shall not instigate or cause to instigate any third person to commit any of the acts mentioned above.

5. PREVIOUSTRANSGRESSION

The BIDDER declares that no previous transgression occurred in the last three years immediately before signing of the Integrity Pact with any other company in any country in respect of any corrupt practices envisaged hereunder or with any public sector Enterprise in IndiaoranyGovernmentDepartmentinIndiathatcouldjustifyBIDDER"sexclusionfrom the tender process.

If the BIDDER makes incorrect statement on this subject, BIDDER can be disqualified from the tender process or the contract, if already awarded, can be terminated for such reason.

6. EARNEST MONEY (SECURITYDEPOSIT)

EveryBIDDERwhilesubmittingcommercialbid,shalldepositanamountasspecifiedinRFP as Earnest Money/Security Deposit, with the BUYER through Bank Draft in favour of Chhattisgarh Rajya Sahakari Dugdh MahasanghMaryadit.

The Earnest Money/Security Deposit shall be valid upto a period of five years or the complete conclusion of the contractual obligations to the complete satisfaction of both the BIDDER and BUYER, including warranty period, whichever is later.

In the case of successful BIDDER a clause would also be incorporated in the Article pertaining to Performance Bond in the Purchase Contact that the provisions of Sanctions for violation shall be applicable for forfeiture if Performance Bond in case of a decision by the BUYER to forfeit the same without assigning any reason for imposing sanction for violation of this Pact.

No interest shall be payable by the BUYER to the BIDDER on Earnest Money/ Security Deposit for the period of its currency.

7. SANCTIONS FOR VIOLATIONS

AnybreachoftheaforesaidprovisionsbytheBIDDERoranyoneemployedbyitoractingon its behalf (whether with or without the knowledge of the BIDDER) shall entitle the BUYER to take all or any one of the following actions, whereverrequired:-

(i) To immediately call off the pre contract negotiations without assigning any reason or giving any compensation to the BIDDER. However, the proceeding with the other BIDDER(s) wouldcontinue.

(ii) To forfeit fully or partially the Earnest Money Deposit (in pre-contract stage) and/or security Deposit/Performance Bond (after the contract is signed), as decided by the BUYER and the BUYER shall not be required to assign any reasonthereof.

(iii) Toimmediatelycancelthe contract,ifalreadysigned, withoutgivinganycompensationtothe BIDDER.

(iv) To recover all sums already paid by the BUYER, and in case of the Indian BIDDER with interest thereon at 2% higher than the prevailing Prime Lending Rate While in case of a BIDDER from a country other than India with interest thereon at 2% higher than the LIBOR. If any outstanding payment is due to the BIDDER from the BUYER in connection with any other contract such outstanding payment could alsobe utilized to recover the aforesaid sum and interest.

(V) To encash the advance bank guarantee and performance bond/warranty bond, if furnished by the BIDDER, in order to recover the payments already made by the BUYER, along with interest.

(iii) To cancel all or any other contracts with the BIDDER and the BIDDER shall be liable to pay compensation for any loss or damage to the BUYER resulting from such cancellation/ rescission and the BUYER shall be entitled to deduct the amount so payable from the money(s) due to the BIDDER.

(vii) To debar the BIDDER from participating in future bidding processes of the Government of Chhattisgarh for a minimum period of five years, which may be further extended at the discretion of theBUYER.

(viii) To recover all sums paid in violation of this Pact by BIDDER(s) to any middlemen or agent or broker with a view to securing thecontract.

(ix) In cases where irrevocable Letters of Credit have been received in respect of any contract signed by the BUYER with the BIDDER, the same shall notbeopened.

(x) If the BIDDER or any employee the BIDDER or any person acting on behalf of the BIDDER, either directly or indirectly, is closely related to any of the officers of the BUYER, oralternatively,ifanycloserelativeofanofficeroftheBUYERhasfinancialinterest/stakein the BIDDER's firm, the same shall be disclosed by the BIDDER at the time of filling of tender. Any failure to disclose the interest involved shall entitle the BUYER to rescind the contract without payment of any compensation to theBIDDER.

The term close relative for this purpose would mean spouse whether residing with the Government servant or not, but include a spouse separated from the Government servant by a decree or order of a competent court; son or daughter or step son or step daughter and wholly dependent upon Government servant, but does not include a child or step child who is no longer any in any way dependent upon the Government servant or of whose custody the Government servant has been deprived of by or under any law; any other person related, whether by blood or marriage,totheGovernmentservantortotheGovernmentservant'swifeorhusband and wholly dependent upon Governmentservant.

(xi) The BIDDER shall not lend to or borrow any money from or enter into any monetary dealings or transactions, directly or indirectly, with any employee of the BUYER, and if he does so, the BUYER shall be entitled forthwith to rescind the contract and all other contracts with the BIDDER. The BIDDER shall be liable to pay compensation for any loss or damage to the BUYER resulting from such rescission and the BUYER shall be entitled to deduct the amount so payable from the money (s) due to theBIDDER.

7.2 The decision of the BUYER to the effect that a breach of the provisions of this pact has been committed by the BIDDER shall be final and conclusive on the BIDDER.However, the BIDDER can approach the Monitor(s) appointed for the purpose of thisPact.

8 FALLCLAUSE

The BIDDER undertakes that it has not supplied/is not supplying similar product/systems or subsystems at a price lower than that offered in the present bid in respect of any other Department of the Government of Chhattisgarh or PSU and if it is found at any stage that similar product/systems or sub systems was supplied by the BIDDER to any other Department of the Government of Chhattisgarh or a PSU at a lower price, than that veryprice, with due allowance for elapsed time, will be applicable to the present case and the difference in the cost would be refunded by the BIDDER to the BUYER , if the contract has already been concluded.

9. INDEPENDENTMONITORS

The BUYER will appoint Independent Monitors (hereinafter referred to as Monitors) for this Pact.

The task of the Monitors shall be to review independently and objectively, whether and to what extent the parties comply with the obligations under this Pact.

The Monitors shall not be subject to instructions by the representatives of the parties and perform their functions neutrally and independently.

Both the parties accept that the Monitors have the right to access all the documents relating to the project/procurement, including minutes of meetings. The Monitor shall be under contractual obligation to treat the information and documents of the BIDDER/ Subcontractor(s) withconfidentiality.

As soon as the Monitor notices, or has reason to believe, a violation of this Pact, he will so inform the Authority designated by the BUYER.

The Monitor will submit a written report to the designated Authority of BUYER/Secretary in the Department/within 8 to 10 weeks from the date of reference or intimation to him by the BUYER/BIDDER and, should the occasion arise, submit proposals for correction problematicsituations.

10. FACILITATION OFINVESTIGATION

In case of any allegation of violation of any provisions of this Pact or payment of commission, the BUYER or its agencies shall be entitled to examine all the documents including the Books of Accounts of the BIDDER and the BIDDER shall provide necessary information of the relevant documents and shall extend all possible help for the purpose of such examination.

11. LAW AND PLACE OFJURISDICTION

This Pact is subject to Indian Law, the place of performance and jurisdiction shall be the seat of the BUYER.

12. OTHER LEGALACTIONS

The actions stipulated in this Integrity Pact are without prejudice to any other legal action that may follow in accordance with the provisions of the any other law in force relating to any civil or criminal proceedings.

13. VALIDITY

ThevalidityofthisIntegrityPactshallbefromthedateofitssigningandextendupto5years or the complete execution of the contract to the satisfaction of both the BUYER and the BIDDER/Seller whichever is later. In case BIDDER is unsuccessful, this Integrity Pact shall expire after six months from the date of the signing of the contract.If one or several provisions of this Pact turn out to be invalid; the remainder of this Pact shall remain valid. In such case the parties will strive to come to an agreement to their originalintentions.

14. The parties hereby sign this integrity Pact at .... on ....

BUYER

BIDDER

Name of the Bidder

Name of the Officer
Designation
Department/PSU

Witness

witness

1) .... 1)..

....

2) .... 2).. ...20...

अनुसूची–1

(रू. 10/– के नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरीकृत प्रस्तुत किया जावे।)

शपथ पत्र

मै .... आयु .... पिता/पति श्री ....

निवासी .... मो0 नंबर .... शपथ पूर्वक घोषणा करता हूॅ कि :–

1. मैं उपरोक्त दर्ज पते पर निवासरत हूँ।
2. मैं छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित की निविदाक्रमांक/1533/छ.ग.दु.म.सं./सिटी कार्यालय/विपणन/2023 रायपुर, दिनांक 22.04.2023 के नियम, शर्त एवं अनुबंध की कंडिकाओं पर सहमत होते हुए निविदा प्रस्तुत कर रहा हूँ।
3. छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित द्वारा मुझे किसी भी कारण से कभी भी अपनी निविदाओं में भागीदारी से रोकने हेतु काली सूची में नहीं डाला गया है।
4. मुझे यह ज्ञात है कि यदि भविष्य में पाया गया कि मुझे कभी भी छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित द्वारा काली सूची में डाला गया है, तो मेरी निविदा स्वीकृति एवं कार्य प्रारंभ होने के बाद भी मेरी धरोहर/सुरक्षा राशि राजसात करते हुये जुर्माने के साथ निरस्त की जा सकती है।
5. यह शपथ पत्र मेरे द्वारा निविदा क्रमांक/1533/छ.ग.दु.म.सं./सिटी कार्यालय/विपणन/2023 रायपुर, दिनांक 22.04.2023 के आवश्यक दस्तावेज के रूप में दिया जा रहा है।

हस्ताक्षर शपथकर्ता

सत्यापन

मै .... पिता/पति श्री .... एतद् द्वारा शपथ पूर्वक घोषणा करता हूॅ कि इस शपथ पत्र की कंडिका क्रमांक 1 से 5 तक संपूर्ण कथन मेरी संपूर्ण जानकारी एवं ज्ञान के अनुसार सत्य है। मेरे द्वारा यह शपथ पत्र स्वेच्छा एवं बिना किसी दबाव के गवाहों के समक्ष हस्ताक्षरित किया गया है।

हस्ताक्षर शपथकर्ता

गवाह

1. हस्ताक्षर :	2. हस्ताक्षर : ....
नाम :	नाम : ....
पता :	पता : ....
आधार क्रमांक	आधार क्रमांक ....
मो. क्रमांक	मो. क्रमांक ....

अनुसूची–2

(रू. 10/– के नान ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरीकृत प्रस्तुत किया जावे।)

शपथ पत्र

मै .... आयु .... पिता/पति श्री ....
निवासी .... मो0 नंबर .... शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि :–

1. मैं उपरोक्त दर्ज पते पर निवासरत हूँ।
2. मैं छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित की निविदाक्रमांक क्रमांक/1533/छ.ग.दु.म.सं./सिटी कार्यालय/विपणन/2023 रायपुर, दिनांक 22.04.2023के नियम, शर्त एवं अनुबंध की कंडिकाओं पर सहमत होते हुए निविदा प्रस्तुत कर रहा हूँ।
3. मेरे कोई भी निकट संबंधी छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित में कार्यरत नहीं है।
4. मेरे कोई भी निकट संबंधी छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित में माननीय संचालक सदस्य नहीं हैं।
5. मुझे यह ज्ञात है कि यदि भविष्य में पाया गया कि मेरा कोई निकट संबंधी छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित में कार्यरत हैं, या इसके माननीय संचालक सदस्य हैं, तो मेरी निविदा स्वीकृति एवं कार्य प्रारंभ होने के बाद भी मेरी धरोहर/सुरक्षा राशि राजसात करते हुये जुर्माने के साथ निरस्त की जा सकती है।
6. यह शपथ पत्र मेरे द्वारा निविदा क्रमांक/1533/छ.ग.दु.म.सं./सिटी कार्यालय/विपणन/2023 रायपुर, दिनांक 22.04.2023के आवश्यक दस्तावेज के रूप में दिया जा रहा है।

हस्ताक्षर शपथकर्ता

<u>सत्यापन</u>

मै .... पिता/पति श्री .... एतद् द्वारा शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि इस शपथ पत्र की कंडिका क्रमांक 1 से 6 तक संपूर्ण कथन मेरी संपूर्ण जानकारी एवं ज्ञान के अनुसार सत्य है। मेरे द्वारा यह शपथ पत्र स्वेच्छा एवं बिना किसी दबाव के गवाहों के समक्ष हस्ताक्षरित किया गया है।

हस्ताक्षर शपथकर्ता

<u>गवाह</u>

1. हस्ताक्षर : ....
   नाम : ....
   पता : ....
   आधार क्रमांक ....
   मो. क्रमांक ....

2. हस्ताक्षर : ....
   नाम : ....
   पता : ....
   आधार क्रमांक ....
   मो. क्रमांक ....